न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2015

1. सूरजमल पुत्र लादू आयु बालिग
2. रामचन्द्र पुत्र लादू आयु बालिग
3. ऊंकारलाल पुत्र लादू आयु बालिग

समस्त जाति रेगर निवासी गांव फतेहगढ (मुरायला) तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र तेजू आयु बालिग
2. सूरजमल पुत्र तेजू आयु बालिग
3. श्रीमति सजनी पत्नि तेजू आयु बालिग
4. रामचन्द्र पुत्र काना आयु बालिग
5. रामदेव पुत्र काना आयु बालिग
6. मादू पुत्र राजू आयु बालिग
   समस्त जाति रेगर निवासी गांव फतेहगढ (मुरायला) तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
7. श्रीमति शान्ति उर्फ सायरी पुत्री काना पत्नि कल्याण आयु बालिग
   जाति रेगर निवासी गांव जामोला तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
8. श्रीमति मन्ना पुत्री काना पत्नि गंगाराम आयु बालिग
   जाति रेगर निवासी गांव खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 251 ए एवं 111 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण ने अपने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम फतेहगढ पटवार क्षेत्र लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 722/2 रक्बा 1–16–10 प्रार्थीगण की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है। इसके मूल ख0 न0 722 है जिसके ख0 न0 722/1 व 722/2 जमाबंदियों में चले आते है लेकिन राजस्व नक्शे में यथानुसार भिन्न नम्बर तरमीम किये हुए नही है। प्रार्थीगण के ख0 न0 722/2 पर आने जाने एवं कृषि उपकरण एवं साघन ले जाने के लिए कोई मार्ग उपलब्ध नही है।

प्रार्थीगण अपनी आराजी पर शेरगढ फतेहगढ वाले मार्ग से ख0 न0 818 रक्बा 19 बिस्वा एवं 730 रक्बा 03–08–10 चारागाह से होते हुए ख0 न0 738 व 739 जो अप्रार्थीगण की भूमियां है के छोर से होते हुए अपने खेत ख0 न0 722/2 पर वर्षो से आते जाते रहे है और इसी मार्ग का उपयोग करते चले आये है लेकिन इसकी नक्शे में तरमीम के अभाव में विवादों का सामना करना पडता है। अतः इसी मार्ग को 30'' चोडा कायम कराते हुए नियमानुशुल्क पर नक्शे में तरमीम कराते हुए मौके पर रास्ता कायम कराने की कृपा करावें। साथ ही ख0 न0 722/1 व 722/2 की राजस्व नक्शे में पृथक पृथक तरमीम करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

(5)

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1, 2, 3 व 5, 6 तथा 7 के बावजूद तामीली अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी स0 4, 7, 8 को प्रयाप्त अवसर देने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने पर उनके जवाब हक बंद किये गये। अप्रार्थी स0 9 अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की प्रश्नगत आराजी ख0 न0 722/2 पर मुख्य सड़क से पहुंचने के लिए प्रस्तावित मार्ग में ख0 न0 818 व 730 तथा 727 सरकारी भूमि का क्रमशः क्षेत्रफल 0–04–10 बिस्वांसी व 0–06–05 बिस्वा तथा 0–01–05 बिस्वा एवं खातेदारी की आराजी ख0 न0 739, 738, 728, व 726 का क्रमशः क्षेत्रफल 00–01–03 बिस्वा व 00–00–18 बिस्वांसी व 00–00–18 बिस्वांसी तथा 0–00–11 बिस्वांसी प्रभावित होता है। ग्राम फतेहगढ की सड़क के पास स्थित ख0 न0 739 की DLC दर रु 35000 रुपये प्रति बीघा है। वैकल्पिक रास्ते बाबत् तहसीलदार मसूदा को ख0 न0 818 व 730 बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

मैनें वकील प्रार्थीगण को सुना। उनके तर्को के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार तहसीलदार मसूदा को प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता ख0 न0 818 व 730 से गुजरना बताया है। वर्तमान में जवाब के साथ प्रस्तुत नक्शे में ख0 न0 818 व 730 से 738, 726 व 739 के छोर से इस रास्ते को लाल श्याही से दर्शाया गया है जो प्रार्थीगण के खेत ख0 न0 722/2 से मिलता है। तहसीलदार मसूदा द्वारा प्रस्तावित यह मार्ग पूर्णतः विधिनुरूप एवं न्यायोचित व सही होना पाया जाता है जो अन्य खातेदारान के लिए भी उपयोगी रहना है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है।,

आदेश

ख0 न0 818, 730 व 727 सरकारी सिवायचक भूमियां है जिनके एक छोर से यह रास्ता तरमीम किया जाना है जो सार्वजनिक हित में रहना है अतः इन सरकारी आराजियात के क्षेत्रफल की राशि से प्रार्थीगण को मुक्त रखा जाता है तथा ख0 न0 739 के क्षेत्रफल 0–01–03 बिस्वा व ख0 न0 738 क्षेत्रफल 18 बिस्वांसी व ख0 न0 728 के क्षेत्रफल 18 बिस्वांसी तथा ख0 न0 726 के क्षेत्रफल 11 बिस्वांसी जो पडौसी खातेदारान की भूमियां से प्रस्तावित मार्ग में लिया जाना है यह मार्ग इन आराजियात के खातेदारान के उपयोग में भी आना है अतः इन्ही कुल 4 खसरा नम्बरान के कुल क्षेत्रफल 0–03–10 बिस्वा भूमि की कीमत रु 35000/– प्रतिबीघा से रु 6100.00 की दुगनी राशि 12200.00 अक्षरे बारह हजार दो सौ रूपये कोस्ट सरकारी खजाने जमा कराने पर यथानुसार नक्शे मे रास्ता तरमीम करने तथा मौके पर 15 फिट चौडा रास्ता कायम करते हुए जमाबंदी में पृथक से इसका नम्बर कायम कर रास्ते का सरकारी खाते अमल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। प्रार्थी द्वारा कोस्ट सरकारी खजाने जमा कराने के बाद आदेश की पालना हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 17:27:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: